

PAG 2722  
5/11/18

A-166

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक च. 5 (17) घिस्वा/2/17

जयपुर, दिनांक 29/10/18

Address

डॉ. अखिल गुप्ता,  
प्रमुख विशेषज्ञ (मेडिसिन),  
सा.स्वा.केन्द्र मेडतासिटी  
नागौर, राज.

विषय:- डॉ. अखिल गुप्ता, प्रमुख विशेषज्ञ (मेडिसिन) द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र दिनांक 0406.2018

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में निर्देशानुसार है कि आप द्वारा दिनांक 01.10.2018 से राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का अनुरोध किया था। आम जन को चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराये जाने एवं प्रशासनिक कारणों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिया जाना सम्भव नहीं है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से आज दिनांक 23.10.2018 को दूरभाष पर हुयी वार्तानुसार डॉ गुप्ता कर्तव्य पर उपस्थित है।

अतः आपका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन जिसके द्वारा दिनांक 01.10.2018 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाही है, अस्वीकृत किया जाता है।

भवदीय,

- P  
(पारस चन्द जैन)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक (जन.स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये, राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि डॉ. अखिल गुप्त, प्रमुख विशेषज्ञ (मेडिसिन) को पत्र डिलीवर कराने का श्रम करें।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को प्रेषित कर लेख है कि डॉ. अखिल गुप्त, प्रमुख विशेषज्ञ (मेडिसिन) को पत्र डिलीवर कराने का श्रम करें।
3. रक्षित पत्रावली।

3  
(ओ.पी.वर्मा)  
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।  
क्रमांक : ई-26/प्र.वि./ए-166/2018/ 1247 दिनांक : 20/11/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र डॉ. अखिल गुप्ता, प्रमुख विशेषज्ञ (मेडिसिन), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेडतासिटी, नागौर को डिलीवर कराकर पाबन्द कर निदेशालय को अवगत करावे।
2. डॉ. अखिल गुप्ता, प्रमुख विशेषज्ञ (मेडिसिन), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेडतासिटी, नागौर द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजकर लेख है कि आपकी दिनांक 01.10.2018 से रवैच्छिक सेवानिवृत्ति को अस्वीकृत किये जाने के कारण अपने पद पदस्थापित रहें।
3. प्रभाषी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने का श्रम करें।
4. रक्षित/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।